"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 299] रायपुर, बुधवार, दिनांक 9 नवम्बर 2011—कार्तिक 18, शक 1933

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-177/गृह-सी/2011.—शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का सं. 19) की धारा-2 के खण्ड 8 के उपखण्ड (ग) तथा (घ) सहपठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्र. एस. ओ. 1285, दिनांक 04 मई, 1963 तथा मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्र. 28 सन् 2000) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, एतद्द्वारा, माना एयरपोर्ट, माना रायपुर में स्थित एविएशन फ्यूलिंग स्टेशन, जो बी.पी.सी.एल. (भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड) रायपुर, छत्तीसगढ़ का पी.ओ.एल. (पेट्रोलियम ऑइल तथा ल्यूब्रिकेन्ट्स) डिपो है, को इस आधार पर कि उसके संबंध में जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या उसके साथ हस्तक्षेप शत्रु के लिये उपयोगी होगा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ-4-177/गृह-सी/2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03-11-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

Raipur, the 3rd November 2011

NOTIFICATION

No. F-4-177/Home-C/2011.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (c) and (d) of clause 8 of Section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (No. 19 of 1923), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S. O. 1285, dated the 4th May, 1963 and Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the Government of Chhattisgarh, hereby, declares the Aviation Fuelling Station situated at Mana Airport, Mana Raipur, which is POL (Petroleum oil and lubricants) Depot of BPCL (Bharat Petroleum Corporation Limited) Raipur, Chhattisgarh, to be a "PROHIBITED PLACE" for the purposes of the said Act on the ground that information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. N. UPADHYAY, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.